संख्या-488/2017/1751/22-2-2016-17(44)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूमीत सिंह पुत्र श्री नाजिर सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर वर्तमान-जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूमीत सिंह पुत्र श्री नाजिर सिंह, निवासी-रमपुरा (डुडवा) मजरा पिपरिया, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर वर्तमान पता-निवासी-गुलडिया, थाना-माधौटाण्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा आपसी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 17/18.03.1986 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तलवार से 13 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302, 302/34, 307, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 4 शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 20.07.1992 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.02.1996 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2005 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित क्रि0रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.03.2016 तक 27 वर्ष 06 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 09 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गुरूमीत सिंह (बन्दी संख्या-13939/92) पुत्र श्री नाजिर सिंह, निवासी-जनपद-शाहजहांपुर वर्तमान जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-488/2017/1751/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in